पत्रांक-संग्रह-रिकवरी इन्ट्री मोड-2015-16 / 649 / 1516057 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 01, जनवरी,2016

समस्त कर निर्धारण अधिकारी

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि परिपत्र संख्या-1218 दिनांक 28-12-2012 के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने तथा परिपत्र संख्या-322 / 1415051 दिनांक 22-07-2014 के अन्तर्गत आनलाइन कर निर्धारण आदेश निर्गत किये जाने तथा करनिर्धारण कार्य से सम्बन्धित पंजियों आर-5ए, आर-5बी को भी आनलाइन जनरेट किये जाने की व्यवस्था प्रभावी है। इसी क्रम में करनिर्धारण से सृजित मॉग एवं उसकी वसूली की कार्यवाही पूर्णतया आनलाइन किये जाने के उद्देश्य से पंजी आर-3, आर-27 तथा आर-6 तथा ACW (वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन/ निरस्तीकरण एवं वापसी के प्रारुप का संक्षित नामकरण) प्रपत्र को भी आनलाइन व्यवस्थित किये जाने की व्यवस्था परिमार्जित असेसमेन्ट माड्यूल के माध्यम से प्रभावी की गयी है।

2- अभी तक करनिर्धारण आदेश पारित होने के उपरान्त उसका विवरण पंजी आर-5बी में आ जाने पर उक्त पंजी की सृजित मॉग इत्यादि के कालम फीड किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त अब पंजी आर-5बी में आदेश के तामीली की तिथि भी फीड की जायेगी। उक्त तामील की तिथि का अंकन किये जाने पर सृजित मॉग का विवरण आनलाइन पंजी आर-3 पर एक यूनिक आर-3 नम्बर नियत करते हुए अंकित हो जायेगा। इसी प्रकार वसूली प्रमाण पत्र (RC) अब आदेश संख्या के आधार पर जनरेट होगें, किन्तु R.C. जनरेट करने की पूर्व व्यवस्था भी अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। R.C. जनरेट होते ही उसकी सूचनाओं के आधार पर R-27 स्वत: व्यवस्थित हो जायेगा।

3- इस प्रकार रजिस्टर आर-3, आर-27 और आर-6 तथा ACW के समेकित फार्मेट मे से जिस पंजी से सम्बन्धित प्रविष्टि करनी हो या अग्रेतर कार्यवाही करनी हो, के लिए इस माड्यूल के main menu में उपलब्ध Intgrated Format (समेकित प्रारुप) के link के अन्तर्गत सम्बन्धित भाग-ए एवं बी में अपेक्षित सूचनाओं का अंकन किया जायेगा। उपरोक्तानुसार अंकित की गयी इन सूचनाओं के आधार पर आनलाइन पंजी- आर-3, आर-27 और आर-6 में सिस्टम द्वारा सम्बन्धित स्तम्भों में सूचनाएँ स्वत: अंकित कर दी जायेगी और उक्त तीनों पंजियॉ आनलाइन व्यवस्थित हो जायेगी। उक्त समेकित प्रारुप का भाग-अ पंजी आर-3 एवं पंजी आर-6 (अनाच्छादित बकाया) की प्रविष्टियों को पूर्ण करने तथा भाग-ब आर-27 तथा आर-6 (आच्छादित बकाया) व्यवस्थित करने एवं Demond Note या प्रपत्र ACW निर्गत करने के लिए प्रयोग किया जायेगा। उक्त समेकित प्रारुप की अपेक्षित प्रविष्टियों को भरने के लिए Entry Mode की व्यवस्था यथावत रहेगी अर्थात सम्बन्धित खाता पालकों द्वारा Entry की जायेगी, किन्तु उनके द्वारा प्रविष्टि की गयी उक्त सूचनाएँ आपके अनुमोदन के अधीन ही अन्तिम होकर आनलाइन पंजियों में सम्मिलित हो सकेंगी।

4- दिनांक 01-12-2015 के पश्चात पारित समस्त कर निर्धारण आदेशों के लिए आनलाइन आर-3, आर-27 एवं आर-6 की प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य है। उक्त तिथि के पूर्व भी पारित आदेशों की तामील की तिथि की प्रविष्टियां ऑन लाइन पंजी आर- 5 बी में करा दी जाये ताकि उक्त आदेशों का भी अंकन आर-3 एवं आर- 27 हो सकें।

राजस्व हित में दिनांक 31-3-2016 तक पंजी आर-3, आर-27 तथा आर-6 मैनुअली भी तैयार किये जायेंगे किन्तु उसके पश्चात् केवल ऑन लाइन ही व्यवस्थित किये जायेंगे।

अत: आनलाइन पंजी आर-3, आर-27 एवं आर-6 व्यवस्थित करने एवं डिमाण्ड नोट, वसूली प्रमाण पत्र तथा ACW प्रपत्र जारी करने से सम्बन्धित विस्तृत प्रक्रिया FAQ सहित इस परिपत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया उक्त प्रक्रिया का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें।

1/01/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की जाती है कि अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराते हुये कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4- ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सहयोग एवं विभागीय बेवासाइट पर डालने हेतु प्रेषित।

5- समस्त विभागीय वसूली के जनपद में कार्यरत कर निर्धारण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/01/16

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

सृजित मॉग तथा R-3के सम्बन्ध में प्रक्रिया

- सर्वप्रथम करनिर्धारण अधिकारी द्वारा Assessment Module में Login करने के पश्चात R-5(B) रजिस्टर में आदेश तामीली की तिथि तथा सृजित मॉग अंकित करना अनिवार्य होगा।
- R-5(B) रजिस्टर में अंकित ऐसे सभी आदेश जिनमें मॉग सृजित की गयी है उनसे सम्बन्धित समस्त विवरण R-3 रजिस्टर के स्तम्भ 1 से 9 में अंकित हो जायेगा। R-3 रजिस्टर माड्यूल के main menu में RC and Register के links के अन्तर्गत Register and MIS के Sublink पर उपलब्ध होगा। R-3 रजिस्टर में प्रत्येक आदेश को एक unique R-3 नम्बर सिस्टम द्वारा स्वत: प्रदान किया जायेगा।

सृजित मॉग तथा R-3के सम्बन्ध में प्रक्रिया

- सर्वप्रथम करनिर्धारण अधिकारी द्वारा Assessment Module में Login करने के पश्चात R-5(B) रजिस्टर में आदेश तामीली की तिथि तथा सृजित मॉग अंकित करना अनिवार्य होगा।
- R-5(B) रजिस्टर में अंकित ऐसे सभी आदेश जिनमें मॉग सृजित की गयी है उनसे सम्बन्धित समस्त विवरण R-3 रजिस्टर के स्तम्भ 1 से 9 में अंकित हो जायेगा। R-3 रजिस्टर माड्यूल के main menu में RC and Register के links के अन्तर्गत Register and MIS के Sublink पर उपलब्ध होगा। R-3 रजिस्टर में प्रत्येक आदेश को एक unique R-3 नम्बर सिस्टम द्वारा स्वत: प्रदान किया जायेगा।
- आदेश तामीली की तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित डिमान्ड नोटिस में अग्रिम कार्यवाही आनलाइन करने हेतु RC and Register के लिंक के अन्तर्गत उपलब्ध Action against Integrated format के अपेक्षित लिंक पर क्लिक किया जायेगा। इसके पश्चात कर निर्धारण वर्ष का चयन dropdown से करते हुए Action on R3 के सम्मुख के radio button पर click किया जायेगा। सम्बन्धित आदेश संख्या का चयन dropdown से करने के पश्चात submit के बटन पर click किया जायेगा।

सृजित मॉग तथा R-3के सम्बन्ध में प्रक्रिया

सर्वप्रथम करनिर्धारण अधिकारी द्वारा Assessment Module में Login करने के पश्चात R-5(B) रजिस्टर में आदेश तामीली की तिथि तथा सृजित मॉग अंकित करना अनिवार्य होगा।

- R-5(B) रजिस्टर में अंकित ऐसे सभी आदेश जिनमें मॉग सृजित की गयी है उनसे सम्बन्धित समस्त विवरण R-3 रजिस्टर के स्तम्भ 1 से 9 में अंकित हो जायेगा। R-3 रजिस्टर माड्यूल के main menu में RC and Register के links के अन्तर्गत Register and MIS के Sublink पर उपलब्ध होगा। R-3 रजिस्टर में प्रत्येक आदेश को एक unique R-3 नम्बर सिस्टम द्वारा स्वत: प्रदान किया जायेगा।
- आदेश तामीली की तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित डिमान्ड नोटिस में अग्रिम कार्यवाही आनलाइन करने हेतु RC and Register के लिंक के अन्तर्गत उपलब्ध Action against Integrated format के अपेक्षित लिंक पर क्लिक किया जायेगा। इसके पश्चात कर निर्धारण वर्ष का चयन dropdown से करते हुए Action on R3 के सम्मुख के radio button पर click किया जायेगा। सम्बन्धित आदेश संख्या का चयन dropdown से करने के पश्चात submit के बटन पर click किया जायेगा।
- ऐसे करनिर्धारण आदेश जिनके विरुद्ध मॉग सृजित की गयी है उनके सम्बन्ध में डिमाण्ड नोटिस आनलाइन निर्गत किया जायेगा।
- आदेश तामीली की तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित डिमान्ड नोटिस में अग्रिम कार्यवाही आनलाइन करने हेतु RC and Register के लिंक के अन्तर्गत उपलब्ध Action against Integrated format के अपेक्षित लिंक पर क्लिक किया जायेगा। इसके पश्चात कर निर्धारण वर्ष का चयन dropdown से करते हुए Action on R3 के सम्मुख के radio button पर click किया जायेगा। सम्बन्धित आदेश संख्या का चयन dropdown से करने के पश्चात submit के बटन पर click किया जायेगा।
- उक्तानुसार submit करने पर चयनित आदेश से सम्बन्धित विवरण स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेगा। यदि आदेश से सम्बन्धित कोई Assessed Tax अथवा Admitted Tax का अंकन किया जाना हो तो उसके लिए स्क्रीन पर उपलब्ध grid में से Tax Period, Month/Quarter, सम्बन्धित धनराशि, जिस दिनांक से ब्याज देय है, जिस दिनांक तक ब्याज देय है (optional), ब्याज की दर का अंकन करने के पश्चात Finally Save के बटन पर click करके सम्बन्धित डेटा को Save किया जायेगा।
- यदि उक्त आदेश के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा कोई धनराशि विभाग में जमा की गयी है तो उसका अंकन स्क्रीन पर उपलब्ध Deposit details के अन्तर्गत चालान नम्बर, चालान दिनांक, मूल धनराशि, ब्याज की entry फील्ड में किया जायेगा।

- यदि सम्बन्धित आदेश में सृजित मॉग में किसी स्तर पर संशोधन किया जाना हो तो स्क्रीन के अन्त में उपलब्ध Proceed for ACWFORMAT (वसूली प्रमाण पत्र के संशोधन/निरस्तीकरण/वापसी का प्रारुप)के बटन पर click किया जायेगा। उक्त बटन पर click करने पर सम्बन्धित आदेश के सन्दर्भ में विवरण दूसरी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जायेगा तथा स्क्रीन पर Proceed with Appeal/Revision entry तथा Proceed for ACWFORMAT without R6 Register entry के दो बटन उपलब्ध होंगे।
- यदि सृजित मॉग में संशोधन अपील के पश्चात प्रभावी हो तो Proceed with Appeal/Revision entry के बटन पर click किया जायेगा। इसके पश्चात सम्बन्धित कारण का चयन dropdown से किया जायेगा। चयनित कारण के अनुरुप entry field स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेंगी जिसमें सम्बन्धित विवरण को अंकित करके Save करने पर अंकित विवरण स्क्रीन पर grid में प्रदर्शित होने लगेगा। यदि मॉग में संशोधन से सम्बन्धित कारण एक से अधिक है तो Next Reason के बटन पर click करके पुन: उपयुक्त कारण का चयन dropdown से किया जायेगा।
- यदि मॉग के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है तो उसके अंकन हेतु dropdown से First Appeal अथवा Second Appeal का चयन किया जायेगा। यदि मॉग के सम्बन्ध में किस्त का आदेश जारी किया गया है तो dropdown से Commissioner/shashan का चयन किया जायेगा।
- समस्त सम्बन्धित कारणों का चयन करने के पश्चात संशोधित आदेश निर्गत करने हेतु generate ACWFORMAT के बटन पर click किया जायेगा। पूर्व अंकित कारणों के अनुरुप संशोधित आदेश का प्रारुप स्वत: Fill हो जायेगा।
- करनिर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आदेश में दिनांक का अंकन किया जायेगा इसके पश्चात Print के बटन पर click करके सम्बन्धित संशोधित आदेश का प्रिन्ट निकाला जा सकता है।
- यदि सृजित मॉग के सम्बन्ध में कोई अपील स्तर पर स्थगन अथवा किस्त का आदेश नही है तो Proceed for ACWFORMAT without R6 Register entry के बटन पर click किया जायेगा तथा शेष व्यवस्था पूर्व के क्रम में ही होगी।
- करनिर्धारण अधिकारी द्वारा अंकित किये गये उक्त विवरण के आधार पर ही R-3, R-6 रजिस्टर (RC से आच्छादित बकाया से सम्बन्धित मॉग) स्वत: ही तैयार हो जायेगा।

h

आर0सी0 से सम्बन्धित प्रक्रिया

- नई व्यवस्था के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु करनिर्धारण आदेश संख्या माड्यूल में अंकित करना अनिवार्य है। वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु RC generation against order के लिंक पर क्लिक करके सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष तथा आदेश संख्या का चयन ड्रापडाउन से करने के पश्चात Submit करने पर स्क्रीन पर RC से सम्बन्धित फार्मेट अंकन हेतु उपलब्ध हो जाता है। इसके पश्चात वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने से सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्ववत है।
- ऐसे सभी वसूली प्रमाण पत्र जो मैनुअली जारी किये गये हैं उनसे सम्बन्धित विवरण का अंकन Old RC detail के बटन पर क्लिक करके पूर्व की भाँति किया जा सकेगा। उक्त प्रक्रिया से अंकित RC में आदेश संख्या तथा तामीली की तिथि अंकित करने का विकल्प Old RC detail updation के लिंक पर उपलब्ध है।
- आदेश तामीली की तिथि से 45 दिन के अन्दर यदि सृजित माँग को जमा नही किया जाता है तो सम्बन्धित आदेश वसूली प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पेन्डिंग रिपोर्ट में स्वत: ही उपलब्ध हो जायेगा। वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने से सम्बन्धित कार्यवाही आनलाइन करने हेतु RC and Register के लिंक के अन्तर्गत उपलब्ध RC generation against order के लिंक पर क्लिक किया जायेगा। इसके पश्चात सम्बन्धित आदेश संख्या को dropdown से चयनित करके submit के बटन पर click करने पर RC generation की स्क्रीन उपलब्ध हो जायेगी जिसमें पूर्व की भाँति RC आनलाइन जनरेट की जा सकेगी।
- यदि जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र में वसूली योग्य धनराशि में कोई संशोधन किया जाना हो अथवा वसूली योग्य धनराशि के जमा का विवरण अंकित किया जाना हो तो RC and Register के लिंक के अन्तर्गत उपलब्ध Action against Integrated format के लिंक पर क्लिक किया जायेगा। इसके पश्चात कर निर्धारण वर्ष का चयन dropdown से करते हुए Action on RC के सम्मुख के radio button पर click किया जायेगा। सम्बन्धित आर0सी0 संख्या का चयन dropdown से करने के पश्चात submit के बटन पर click किया जायेगा।
- उक्तानुसार submit करने पर चयनित आर0सी0 से सम्बन्धित विवरण स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेगा। यदि आदेश से सम्बन्धित कोई Assessed Tax अथवा Admitted Tax का अंकन किया जाना हो तो उसके लिए स्क्रीन पर उपलब्ध grid में

से Tax Period, Month/Quarter, सम्बन्धित धनराशि, जिस दिनांक से ब्याज देय है, जिस दिनांक तक ब्याज देय है (optional), ब्याज की दर का अंकन करने के पश्चात Finally Save के बटन पर click करके सम्बन्धित डेटा को Save किया जायेगा।

- यदि उक्त आदेश के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा कोई धनराशि विभाग में जमा की गयी है तो उसका अंकन स्क्रीन पर उपलब्ध Deposit details के अन्तर्गत चालान नम्बर, चालान दिनांक, मूल धनराशि, ब्याज की entry फील्ड में किया जायेगा।
- यदि सम्बन्धित आदेश में सृजित मॉग में किसी स्तर पर संशोधन किया जाना हो तो स्क्रीन के अन्त में उपलब्ध Proceed for ACWFORMAT के बटन पर click किया जायेगा। उक्त बटन पर click करने पर सम्बन्धित आदेश के सन्दर्भ में विवरण दूसरी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जायेगा तथा स्क्रीन पर Proceed with Appeal/Revision entry तथा Proceed for ACWFORMAT without R6 Register entry के दो बटन उपलब्ध होंगे।
- यदि सृजित मॉग में संशोधन अपील के पश्चात प्रभावी हो तो Proceed with Appeal/Revision entry के बटन पर click किया जायेगा। इसके पश्चात सम्बन्धित कारण का चयन dropdown से किया जायेगा। चयनित कारण के अनुरुप entry field स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेंगी जिसमें सम्बन्धित विवरण को अंकित करके Save करने पर अंकित विवरण स्क्रीन पर grid में प्रदर्शित होने लगेगा। यदि मॉग में संशोधन से सम्बन्धित कारण एक से अधिक है तो Next Reason के बटन पर click करके पुन: उपयुक्त कारण का चयन dropdown से किया जायेगा।
- यदि मॉग के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है तो उसके अंकन हेतु dropdown से First Appeal अथवा Second Appeal का चयन किया जायेगा। यदि मॉग के सम्बन्ध में किस्त का आदेश जारी किया गया है तो dropdown से Commissioner/shashan का चयन किया जायेगा।
- समस्त सम्बन्धित कारणों का चयन करने के पश्चात संशोधित आर0सी0 निर्गत करने हेतु generate ACWFORMAT के बटन पर click किया जायेगा। पूर्व अंकित कारणों के अनुरुप संशोधित आर0सी0 का प्रारुप स्वत: Fill हो जायेगा।
- करनिर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आदेश में दिनांक का अंकन किया जायेगा इसके पश्चात Print के बटन पर click करके सम्बन्धित संशोधित आर0सी0 का प्रिन्ट निकाला जा सकता है।

h

- यदि सृजित मॉग के सम्बन्ध में कोई अपील स्तर पर स्थगन अथवा किस्त का आदेश नही है तो Proceed for ACWFORMAT without R6 Register entry के बटन पर click किया जायेगा तथा शेष व्यवस्था पूर्व के क्रम में ही होगी।
- करनिर्धारण अधिकारी द्वारा अंकित किये गये उक्त विवरण के आधार पर ही R-3, R-6, R-27 रजिस्टर स्वत: ही तैयार हो जायेगा।
- सम्बन्धित R-3, R-6, R-27 रजिस्टर RC and Register लिंक के अन्तर्गत RC Register and MIS पर click करके प्राप्त किये जा सकते हैं।
- वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु समस्त विवरणों के अंकन की सुविधा सम्बन्धित कर्मचारियों के लागिन पर उपलब्ध है। कर्मचारियों द्वारा अंकन करने के उपरान्त सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारियों के वेरिफिकेशन के पश्चात ही सम्बन्धित वसूली प्रमाण पत्र का प्रिन्ट निकाला जा सकता है।

01/09/16